7. मुख्यमंत्री बालिका (इंटरमीडियट) प्रोत्साहन योजना:

बिहार इंटरमीडियट परीक्षा परिषद्/बिहार मदरसा बोर्ड/बिहार संस्कृत शिक्षा परिषद् द्वारा आयोजित की जाने वाली इंटरमीडियट या समकक्ष (वार्षिक) परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली सभी अविवाहित बालिकाओं को माता/पिता/अभिभावक के बैंक खाते में ₹10,000 (दस हजार रूपये) की राशि का सीधा बैंक हस्तांतरण।

8. मुख्यमंत्री बालिका (स्नातक) प्रोत्साहन योजना:

बिहार में स्थापित विश्वविद्यालयों द्वारा आयोजित की जाने वाली स्नातक (वार्षिक) परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली सभी बालिकाओं को माता/पिता/अभिभावक के बैंक खाते में ₹25,000 (पच्चीस हजार रूपये) की राशि का सीधा बैंक हस्तांतरण।

मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना का लाभ उठाने के लिए अपने निकटतम आंगनबाड़ी केन्द्र, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी अथवा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी से संपर्क करें। संपूर्ण टीकाकरण योजना का लाभ उठाने के लिए अपने निकटतम आंगनबाड़ी केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अथवा सरकारी अस्पताल से संपर्क करें। अन्य सभी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए अपने निकटतम विद्यालय, प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी से संपर्क करें।

Conceptualized, Designed & Printed by:
punament@gmail.com

**अधिक जानकारी के लिए टॉल फ्री नंबर 181 अथवा
समाज कल्याण निदेशालय के दूरभाष 0612-2211718 पर संपर्क करें!**

बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग

समाज कल्याण निदेशालय
समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार द्वारा जनहित में प्रकाशित

बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग

मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना

बेटियों को

संरक्षण, स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वावलंबन

मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना

बेटियों का संरक्षण, स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वावलंबन

राज्य सरकार द्वारा बालिकाओं के संरक्षण–स्वास्थ्य–शिक्षा–स्वावलंबन पर आधारित **''मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना''** लागू की गयी है। इस योजना का उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, कन्याओं के जन्म, निबंधन एवं सम्पूर्ण टीकाकरण को प्रोत्साहित करना, लिंग अनुपात में वृद्धि लाना, बालिका शिशु मृत्यु दर को कम करना, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना, बाल–विवाह पर अंकुश लगाना तथा कुल प्रजनन दर में कमी लाना है। यह योजना बालिकाओं को शिक्षित कर आत्मनिर्भर बनाने, सम्मानपूर्वक जीवन यापन करने का अवसर प्रदान करने तथा परिवार एवं समाज में उनके आर्थिक योगदान को बढ़ाने में भी सहायक होगी। यह योजना राज्य के सभी कन्याओं को जन्म से लेकर स्नातक होने के लिए होगी। इस योजना का लाभ परिवार के दो बच्चों तक सीमित रहेगा।

1. मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना :

कन्या शिशु के जन्म पर शिशु के माता/पिता/अभिभावक के बैंक खाते में ₹2000 (दो हजार रूपये) की राशि का सीधा बैंक हस्तांतरण। कन्या शिशु की आयु एक वर्ष पूरे होने और आधार पंजीकरण कराये जाने पर कन्या के माता/पिता/अभिभावक के बैंक खाते में ₹1000 (एक हजार रूपये) की राशि का सीधा बैंक हस्तांतरण।

2. सम्पूर्ण टीकाकरण योजना :

कन्या की आयु 2 वर्ष पूरा होने और कन्या को सम्पूर्ण टीकाकरण कराने के उपरांत माता/पिता/अभिभावक के बैंक खाते में ₹2000 (दो हजार रूपये) की राशि का सीधा बैंक हस्तांतरण।

3. मुख्यमंत्री पोशाक योजना (बालिकाओं के लिए) :

सरकारी विद्यालयों की पहली एवं दूसरी कक्षा में नियमित रूप से पढ़ने वाली बालिकाओं को विद्यालय पोशाक के लिए माता/पिता/ अभिभावक के बैंक खाते में प्रति वर्ष ₹600 (छः सौ रूपये) तथा तीसरी से पांचवीं कक्षा में पढ़ने वाली बालिकाओं के लिए ₹700 (सात सौ रूपये) की राशि का सीधा बैंक हस्तांतरण।

4. मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना :

सरकारी विद्यालय की छठी से नौवीं कक्षा में नियमित रूप से पढ़ने वाली बालिकाओं के लिए माता/पिता/अभिभावक के बैंक खाते में प्रति वर्ष ₹1000 (एक हजार रूपये) की राशि का सीधा बैंक हस्तांतरण।

5. बिहार शताब्दी मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना :

सरकारी विद्यालयों की नौवीं से बारहवीं कक्षा में नियमित रूप से पढ़ने वाली बालिकाओं के लिए माता/पिता/अभिभावक के बैंक खाते में प्रति वर्ष ₹1500 (एक हजार पाँच सौ रूपये) की राशि का सीधा बैंक हस्तांतरण।

6. मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम :

सरकारी विद्यालयों की नौवी से बारहवीं कक्षा में नियमित रूप से पढ़ने वाली बालिकाओं को सैनिटरी नैपकीन का प्रयोग करने के लिए माता/पिता/ अभिभावक के बैंक खाते में प्रति वर्ष ₹300 (तीन सौ रूपये) की राशि का सीधा बैंक हस्तांतरण।